INFORMATION BROCHURE
FOR

SELECTION ON NON-TEACHING POSTS (STAFF NURSE) THROUGH COMPUTER BASED TEST (CBT) EXAMINATION- 2026

<u>सीधी भर्ती</u>

ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो **दिनांक 10/08/2026** से संस्थान की बेवसाइट– www.gims.ac.in पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि 07/09/2026** होगी।

- **अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित पदों की अहर्ताएं धारित करने के बाद ही आवेदन करें।**
- **अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक दी गयी समस्त अहर्ताएं पूरी करनी होगी। अहर्ताएं न पूरी करने अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने अथवा छिपाएं जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को सुरक्षित होगा।**

विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए निम्नलिखित दूरभाष/ईमेल सम्पर्क कर सकते हैं–

सहायता प्रकोष्ठ (Helpline) **(Times 09:00 AM – 06:00 PM on all working days)**
Helpdesk No - 9986640811, E-mail: gimsrec.helpdesk@gmail.com

विज्ञापन सं0: जी0आई0एम0एस0 / 2026 / मैनपावर / गै0शै0–03 / 10 दिनांक: 09 / 08 / 2026

कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) परीक्षा–2026 के माध्यम से गैर–शैक्षणिक पदों (स्टाफ नर्स) पर चयन

सीधी भर्ती

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान है, जिसकी स्थापना एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ के सदृश्य की गयी है। संस्थान गैर–शैक्षणिक पदों के अन्तर्गत स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। विज्ञापन **संख्या–जी.आई.एम.एस. / 2026 / मैनपावर / गै0शै0–03 / 10, दिनांक 09 / 08 / 2026** द्वारा विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा–2026 के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर चयन हेतु **भारत के नागरिकों** से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे सारिणी–01 में अंकित है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र विंडो लिंक दिनांक 10 / 08 / 2026 से संस्थान की बेवसाइट– www.gims.ac.in पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 07 / 09 / 2026 होगी।

विशेष कथनः–उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार संस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी। उपलब्ध करायी गयी तिथि के बाद आवेदन / फीस स्वीकार नही होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा फीस जमा नहीं कर दी जाती।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्यक्रम एवं आवेदन किये जाने की प्रक्रिया हेतु संस्थान की वेबसाइट www.gims.ac.in को नियमित रूप से देखना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना– उपरोक्त विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पद्धति (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझ लें कि विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यता / योग्यताएं रखते हैं और पद हेतु विहित निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हैं। तदोपरान्त ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। उपयोगकर्ता निर्देश (User Instruction) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बधित दिशा–निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु उपयोगकर्ता निर्देश (User Instruction) अवश्य पढ़ें।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पांच भागों में बांटा गया हैः–

(i) उम्मीदवार पंजीकरण (Candidate Registration)
(ii) फार्म का विवरण भरना
(iii) फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज अपलोड करना
(iv) शुल्क का भुगतान और आवेदन पत्र प्रस्तुत करना (सबमिट करना)
(v) आवेदन पत्र का प्रिंटआउट

1. श्रेणीवार रिक्त पदों का (क्षैतिज एवं लम्बवत आरक्षण) विवरण निम्नवत हैः–

सारणी–01 (Table-01)

Sr. No.	Name of the Post	Number of Post					
		UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
1	Staff Nurse	40	27	21	02	10	100
नोटः– क्षैतिज आरक्षण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार लागू होगा।							

2. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)–

क्र0सं0	संवर्ग / पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	प्रतिशत	पदों की संख्या
1	Staff Nurse	महिला	20%	20
		सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक	5%	05
		दिव्यांगजन (OL- One Leg Affected)	4%	04
		स्व. संग्राम सेनानी के आश्रित	2%	02

क्षैतिज आरक्षण

क. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 दिनांक 30.12.1993 (संशोधन) अधिनियम 2018 दिनांक 01.09.2018 एवं संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचना संख्या 450(2) / LXXIX–1–21–ka–12–21 लखनऊ दिनांक 10.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–15 / 5 / 1986–का.–2 / 92 दिनांक 28.04.1992 कार्मिक अनुभाग–2 तथा अन्य श्रेणी (अर्थात क्षैतिज) के आरक्षण में लागू होंगे और केवल चिन्हित पदों पर लागू होगा।

ख. **सेना के भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये आरक्षण**ः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली / शासनादेशों के प्रावधानानुसार अनुमन्य होगा।

3. अनिवार्य शैक्षणिक एवं अनुभव अहर्तायेंः–

उपर्युक्त सारणी–1 में उल्लिखित सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य अहर्ताएं (शैक्षिक व अन्य) व अधिमानी अहर्ताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य हैः–

शैक्षणिक अर्हता– स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को/ के पास– छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकेल्टी अथवा इण्डियन नर्सिग काउंसिल द्वारा दिया गया या मान्यता प्राप्त संस्थान से धारित बी0एस0सी0 नर्सिग (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिग्री हो अथवा बी0एस0सी0 नर्सिग (पोस्ट बेसिक) (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण हो

या

संयुक्त प्रान्त नर्स तथा धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिग (जी0एन0एम0) का डिप्लोमा हो, और जो रजिस्ट्रिकृत हो एवं रजिस्ट्रेशन के उपरान्त कम–से कम– 50 बिस्तर के अस्पताल में 02 वर्ष का कार्यानुभव हो।

4. **आयु सीमाः** उपरोक्त सारणी में उल्लिखित समस्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2026 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 40 वर्ष की अधिक की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणीओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय–समय पर जारी व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य होगी।

आयु सीमा में छूटः–

- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम छूट 05 वर्ष की अवधि तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रासंगित शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संदर्भ संख्या 2-E.M./2001-Ka-42013 दिनांक 27.08.2013 के अनुसार अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक छूट दी जा सकती है।
- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- शासनादेश संख्या 18/1/2008(।।)/का–2 दिनांक 03 फरवरी 2008 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

5. **प्रमाण पत्रः** आरक्षण/ आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के **परिशिष्ट–1 से 5** में मुद्रित तथा वेबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें तथा संगत वेबसाईट में उपलब्ध हो, प्रमाण पत्र संगत वेबसाईट पर सत्यापन न होने की दशा में निरस्त माना जायेगा।

अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की तिथि से पूर्व छह माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए (जहां लागू हो)। EWS अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी वैध EWS प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे सामान्य (UR) वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी (Domicile) अभ्यर्थी ही आरक्षित पदों (क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण दोनों) के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र दिनांक 01 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए।

6. आरक्षण–

क. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, अधिनियम–1994 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–2020 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारिरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार अनुमन्य होगा।

ख. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण–

- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को कार्मिक अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–II, दिनांक 18 फरवरी 2019 में विहित व्यवस्था और निर्धारित मानक के अन्तर्गत आतें है और विहित शर्तें पूरी करते हैं तो विज्ञापित पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 10 प्रतिशत आरक्षण का दावा करते हैं, उन्हें एतद सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 फरवरी 2019 के विहित व्यवस्था के अनुसार परिवार की आय और परिसंपत्ति का प्रमाण–पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्र (अन्यून) अधिकारी द्वारा जारी/ प्रमाणित प्रमाण–पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

7. आवेदन शुल्क (Application Fee)

प्रत्येक पद के सापेक्ष आवेदन करने हेतु भुगतान की जाने वाली अप्रतिदेय (Non Refundable) शुल्क की धनराशि निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	अभ्यर्थियों की श्रेणी	आवेदन शुल्क (रू0)	GST@18% (रू0)	कुल आवेदन शुल्क (रू0)
1.	अनारक्षित	1100/-	198/-	1298/-
2.	अन्य पिछड़ावर्ग/EWS	1100/-	198/-	1298/-

3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	800/-	144/-	944/-
4.	शारीरिक रूप से दिव्यांग (सभी श्रेणी में) केवल उ0प्र0 के मूल निवासियों के लिए	शून्य		

अन्य श्रेणी (क्षैतिज आरक्षण) से सम्बंधित उम्मीदवारों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. भर्ती की प्रक्रिया:

- स्टाफ नर्स के पद पर प्रतियोगी परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अध्यक्ष के आदेशानुसार परीक्षा निकाय निर्धारित किया जायेगा। उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित परीक्षा निकाय (एक्जामिनिंग बॉडी) द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में निर्धारित परीक्षा निकाय (एक्जामिनिंग बॉडी) द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।
- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास निर्धारित परीक्षा निकाय (एक्जामिनिंग बॉडी) द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।
- अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित परीक्षा निकाय (एक्जामिनिंग बॉडी) द्वारा निर्धारित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें नर्सिंग से सम्बन्धित प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रतिशत प्रश्न सैद्धान्तिक ज्ञान एवं 20 प्रतिशत प्रश्न व्यवहारिक ज्ञान से सम्बन्धित होंगे।
- निर्धारित परीक्षा निकाय (एक्जामिनिंग बॉडी) नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके प्रवीणता क्रम में जैसा कि–

  उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझ यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची मे उच्चतर रखा जायेगा। निर्धारित परीक्षा निकाय (एक्जामिनिंग बॉडी) सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

- चयन की अंतिम प्रक्रिया निम्न पर आधारित होगी–
  - CBT में मेरिट
  - बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन
  - स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Examination)

9. नकारात्मक अंकन: कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु निर्धारित कुल अंकों का **1/4 (एक–चौथाई)** अंक काट लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है या अनुत्तरित छोड़ दिया जाता है,

तो उसके लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी तरह आश्वस्त होने पर ही प्रश्नों के उत्तर दें।

10. अंक समान होने की स्थिति में टाई का निपटारा निम्न प्रकार से किया जायेगाः

- समान अंकों वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि (उसमें बड़े उम्मीदवार को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी)

11. पाठ्यक्रमः विज्ञापित पद के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–6** के अनुसार होगी।

12. परीक्षा का शहर की सूची **परिशिष्ट–7** में उपलब्ध है एवं अन्य भर्ती जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.gims.ac.in पर अलग से उपलब्ध करायी जायेगी।

13. प्रश्नों की समीक्षा (Mark for Review): कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए किसी प्रश्न को दोबारा देखने हेतु "Mark for Review" का विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न की समीक्षा केवल उसी सक्रिय खण्ड के निर्धारित समय के भीतर ही कर सकेंगे। खण्ड के सबमिट हो जाने के बाद समीक्षा संभव नहीं होगी। इसके निम्नलिखित नियम होंगे–

- **बिना उत्तर दिए समीक्षा (Unanswered and Marked for Review) :** यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसे "Mark for Review" किया है, तो उस खण्ड का समय समाप्त होने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उस प्रश्न को उनुत्तरित माना जाएगा।
- **उत्तर देकर समीक्षा (Answered and Marked for Review) :** यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दे दिया है और उसे "Mark for Review" भी किया है, तो उस खण्ड का समय समाप्त होने पर उसे अभ्यर्थी का अंतिम उत्तर मानकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर सही होने पर अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर नकारात्मक अंकन लागू होगा।

14. सामान्य निर्देशः–

1. अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक पात्रता मानदंड शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा।
2. ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया एवं अनुसूची, संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा परीक्षा, वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम के लिए संस्थान की वेबसाइट www.gims.ac.in समय–समय पर अवश्य देखें। इस हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
4. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उतीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

5. भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नही होगा।
6. ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गयी हो।
7. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
8. चयनित महिलाओं, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों को विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनमें वे संबंधित है।
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नही हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नही होगा, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी मे माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
10. उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण अधिनियमों, अध्यादेशों/आदेशों में निर्धारित/नीतिगत निर्देशों के अनुसार अनारक्षित एवं आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता हैं।
11. आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे रिक्त पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता (शैक्षणिक एवं अनुभव) व अन्य शर्तों को पूर्ण करते हैं एवं निर्धारित आयु सीमा के तहत आते हैं।
12. उपरोक्त सारिणी में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है।
13. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की मुद्रित/हार्ड कॉपी सहित कोई दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन पत्र की एक मुद्रित/हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
14. **आवेदन पत्र में संशोधनः–** अभ्यर्थी आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही आपने आवेदन में संशोधन कर सकता है।
15. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा केन्द्रों की सूची से अपनी वरीयताएं देनी होंगी जिनमें परीक्षा आयोजित की जानी है (शहरों की सूची संलग्न) सटीक/आवंटित केंद्र हॉल टिकट जारी करते समय दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र के पसंदीदा विकल्पों पर स्लॉट की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में निकटतम अन्य शहरों को आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में संस्थान (GIMS, Greater Noida) का निर्णय अंतिम होगा।
16. परीक्षा पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध होगा।
17. नियमित सेवा के आवेदकों को अपने नियोक्ताओं से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
18. अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट संस्थान की वेबसाइट www.gims.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट डाक से नहीं भेजे जायेंगे। यह सुविधा परीक्षा के प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र के किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नही होगा।

19. लिखित परीक्षा/Document Verification हेतु उपस्थित होने के लिये कोई TA/DA स्वीकार्य नहीं होगा।
20. सभी विवाद/मतभेद या मुकदमे केवल गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
21. अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक दी गयी समस्त अहर्ताएं पूरी करनी होंगी। अहर्ताएं न पूरी करने अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने अथवा छिपाएं जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार संस्थान के नियोक्ता प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
22. **संस्थान अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उनका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्न नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि नियुक्ति हेतु निर्णय ले भी लिया गया तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।**
23. कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन रिस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
24. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
25. **संस्थान अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।**
26. किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों मे लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा संस्थान की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार संस्थान का होगा।
27. संस्थान के निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

निदेशक

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा
GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Greater Noida, Gautam Buddha Nagar-201310, Tel-0120-2341738, 9986640811

Website: www.gims.ac.in, Email- gimsrec.helpdesk@gmail.com

(An Autonomous Institute under Govt. of U.P)

Advt. No. – GIMS/2026/Manpower/NT- 03/10 **Date:- 09 .08 .2026**

SELECTION ON NON-TEACHING POSTS (STAFF NURSE) THROUGH COMPUTER BASED TEST (CBT) EXAMINATION- 2026

Direct Recruitment

The Government Institute of Medical Sciences Greater Noida is an autonomous Institute under the Uttar Pradesh State Government, established on the lines of S.G.P.G.I. Lucknow, and invites applications for direct recruitment to the Non-Teaching Posts for (Staff Nurse). Online applications are invited from citizens of India for the post of Staff Nurse advertised vide Advertisement No. GIMS/2026/Manpower/NT-03/10 of GIMS dated 09.08.2026 under the Computer Based Test (CBT) Examination- 2026. The category-wise details are given in Table-01.

The online application form window is open from **10.08.2026** on the Institute's website **www.gims.ac.in** and the last date of the application will be **07.09.2026**. Candidate can also amend their application form before final submission except his/her registered mobile no., e-mail id, Adhar no. and category. Candidates are advised to visit website www.gims.ac.in for periodic updates.

Special Note: The last date for application and fee submission relative to the above advertisement will be available on the Institute's website as per the examination schedule. Applications/fees will not be accepted after the provided date. The applicant will not be able to take a printout of his application until the fee is deposited by him.

Only the Online Application System is applicable for applying under the above mentioned advertisement. Applications sent through any other medium will not be accepted.

Candidates should read the said advertisement carefully and understand well that they possess the desired qualification/qualifications for the advertised posts and come within the prescribed age limit for the post. Only after that, start the process of filling the application form.

Process of filling the application form-The process of filling the application form is divided into the following five parts:

i. Candidate Registration
ii. Filling up of details of the form
iii. Uploading photo, signatures and other documents
iv. Payment of Fees and Application Form Submission
v. Printout of Application form

Note: The candidate can complete all the above mentioned procedures at once for filling the application form

1. **Category-wise details of vacant posts are as follows:**

Table-1

a. Vertical Reservation

Sr. No.	Name of the Post	Number of Post					
		UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
1	Staff Nurse	40	27	21	02	10	100
नोटः– क्षैतिज आरक्षण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार लागू होगा।							

b. Horizontal Reservation:

S.No.	Cadre/Post Name	Category of Horizontal Reservation	Percentage	Number of Posts
1	Staff Nurse	Women	20%	20
		Ex-Servicemen	5%	05
		Divyang (OL- One Leg)	4%	04
		Dependent of Freedom Fighter (DFF)	2%	02

Horizontal Reservation:

- The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters, and Ex-Servicemen) Act, 1993 dated 30.12.1993, (Amendment) Act 2018 dated 01.09.2018, and Amendment Act 2021 Notification No. 450(2)/LXXIX-1-21-ka-12-21 Lucknow dated 10.03.2021, along with Government Order No. 15/5/1986-ka-2/92 dated 28.04.1992 Personnel Section-2, will be applicable to the reservation of other categories (i.e., horizontal) and will apply only to the identified posts.
- Reservation for Ex-Servicemen and Dependents of Freedom Fighters: Reservation for Dependents of Freedom Fighters (DFF) and Ex-Servicemen will be permissible as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters, and Ex-Servicemen) Act, 1993 (as amended) and the latest relevant rules/government orders.

2. **Educational and Experience Qualifications:** For recruitment to all the vacant posts mentioned in the above Table-1, it is essential for the candidate to possess the mandatory qualifications (educational and others) and preferential qualifications by the last date of application.

Educational Qualification:

(i) B.Sc Nursing (4 years course) from an Indian Nursing Council / State Medical Faculty recognized Institute or University or B.Sc. Nursing (Post Basic) (2 Years Course) from an Indian Nursing Council recognized institute/university.
(ii) Registered as Nurse & Midwife in State/Indian Nursing Council

OR

(i) Diploma in General Nursing Midwifery (G.N.M) from an Indian Nursing Council recognized Institute/ Board or Council

(ii) Registered as Nurse & Midwife in State/ Indian Nursing Council.
(iii) Two Years experience in a minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above.

3. Relaxation in Age Limit:

- The decisive date of age calculation for recruitment to al the posts mentioned in the above table is 1st July. Candidate has to have attained the age of 21 years and should not be more than 40 years age.
- For SC, ST, and OBC candidates of Uttar Pradesh, a maximum relaxation up to a period of **05 years** will be permissible as per the relevant government orders of the U.P. Government.
- In the case of permanent employees of the U.P. Government who have rendered at least **03 years** of regular and continuous service in the relevant field, a relaxation of up to a maximum of **05 years** can be given as per GOs of Govt. of UP, Karmik Anubhag. 4 Ref No- 2-E.M./2001-Ka-42013 dated 27.08.2013.
- Persons dismissed by the Union Government or any State Government will not be eligible for appointment to any post in the service.
- As per Government Order No. 18/1/2008(II)/ka-2 dated 03 February 2008, a relaxation of **15 years** in the maximum age limit will be permissible to persons with disabilities.
- For ex-servicemen, a relaxation of **03 years** in the maximum age limit will be permissible with the condition that after deducting their total service period from their actual age, the resulting remaining age should not be more than 03 years over the prescribed age. It is mandatory to be discharged from the Army by the last date of application. However, he should have rendered satisfactory approved military service in any wing of army, navy or air forces and he should be otherwise eligible for the post.

4. **Certificates**: Candidates seeking the benefit of reservation/age relaxation must obtain the caste certificate/reservation related certificate issued by the competent authority in the prescribed format in **Appendix-1 to 5** of this detailed advertisement and should be available on the relevant website for online verification, issued by the last date of application.

For SC/ST/OBC/EWS candidates, the caste certificate should be issued by the competent authority in the format prescribed by the U.P. Government. EWS candidates must have a certificate issued by the competent authority. If any candidate fails to present a valid EWS certificate, he/she will be considered a General (UR) category candidate. Only permanent residents (**Domicile**) of Uttar Pradesh will be eligible to apply for reserved posts (both horizontal and vertical reservation).

5. Reservation:

- The OBC & EWS certificate must have been issued on or after 1st April 2026 and must be valid on the last date of submission of the online application.

- Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes of citizens shall be permissible in accordance with the Act-1994 (as amended), the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act-2020, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters, and Ex-Servicemen) Act, 1993 (as amended). **The benefit of reservation will be permissible only to the residents (Domicile) of Uttar Pradesh**.

- Reservation for Economically Weaker Section (EWS):

  - Under the present advertisement, such Economically Weaker Section (EWS) candidates who are not covered under the existing reservation system for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, and are original residents of the State of Uttar Pradesh, and fall under the arrangement and prescribed standards defined in the Office Memorandum No. 1/2019/4/1/2002/ka-2/19 T.C.-II dated 18 February 2019 of the Personnel Section-2, Government of Uttar Pradesh, and fulfill the prescribed conditions, will be allowed 10 percent reservation on the advertised posts..

  - Economically Weaker Section (EWS) candidates who claim 10 percent reservation must compulsorily present the income and asset certificate of the family issued/certified by an officer not below the rank of Tehsildar of the concerned area, in accordance with the arrangement prescribed in the Office Memorandum dated 18 February 2019. This certificate must have been issued by the last date of application.

6. Application Fee:

The amount of non-refundable fee to be paid for applying against each post is as follows:

S.No.	Category	Fee (Rs.)	GST@18%	Total (Rs.)
1	Unreserved (UR)	1100/-	198/-	1298/-
2	OBC/ EWS	1100/-	198/-	1298/-
3	SC/ ST	800/-	144/-	944/-
4	Divyang (All Categories in UP)	Exempted		

Candidates belonging to other categories (horizontal reservation) will have to pay the fee according to their basic category.

7. Recruitment Process:

- For conducting the competitive examination at Staff Nurse, an examination body will be determined as per the orders of the Chairman. To appear in the said competitive examination, applications will be invited by the designated examination body (Examining Body) in the format published in the advertisement issued by it.

- No candidate will be allowed to enter the examination unless they possess an admit card issued by the designated examination body (Examining Body).

- For the selection of candidates, the examination conducted by the designated examination body (Examining Body) will be of an objective type, containing questions related to nursing. Out of these questions, 80% will be based on theoretical knowledge and 20% on practical knowledge.

- As per Rule 6, the designated examination body (Examining Body), keeping in view the need to ensure proper representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other categories, will prepare a list of candidates in order of merit based on the marks obtained by them and will recommend as many candidates as deemed appropriate for appointment. In case two or more candidates obtain equal marks, the older candidate will be placed higher in the list. The designated examination body (Examining Body) will forward the list to the appointing authority.

- The final process of selection will be based on-

    i. Merit in CBT
    ii. Biometric & Document verification from concerned authorities.
    iii. Medical Examination

8. **Negative Marking:** There is a provision for negative marking in the CBT for every wrong answer. For each wrong answer, 1/4 (one-fourth) of the total marks prescribed for that question will be deducted. If a question is not solved or left unanswered by the candidate, there will be no negative marking for it. Candidates are advised to answer questions only when they are fully confident.

9. **Settlement of tie in case of equal marks:**

- Date of birth of candidates with equal marks (the older candidate will be given higher priority).

11. **Syllabus:** Detailed syllabus for all advertised posts is available in **Appendix-6** below.

12. **Mark for Review**: During the CBT, the "Mark for Review" option will be available to revisit a question. Candidates can review any question only within the prescribed time of that active section. Review will not be possible after the section is submitted.

- **Unanswered and Marked for Review:** If a candidate has marked a question for review without answering it, that question will not be evaluated when the section time expires and will be considered unanswered.

- **Answered and Marked for Review:** If a candidate has answered a question and also marked it for review, it will be considered the candidate's final answer and evaluated when the section time expires. Marks will be given for correct answers and negative marking will apply for wrong answers.

13. The examination schedule, city of examination (**Appendix-7**), and other recruitment information will be uploaded separately on the Institute's website **www.gims.ac.in**.

14. **General Instructions:**

1. Candidates must fulfill all necessary eligibility criteria, educational qualifications, experience, age limit, etc as per appended guidelines.

2. Online registration and fee submission process will be published on the website. Candidates are advised to check **www.gims.ac.in** periodically for the detailed schedule; no correspondence will be made by the Institute.

3. All reserved category candidates of U.P. must mention their category in the application.

4. Only the date of birth recorded in the High School or equivalent certificate will be valid.

5. Ex-servicemen and dependent of freedom fighter must submit their claim on the prescribed format issued by the competent authority.

6. Male candidates who are married and have more than one living wife, or female candidates who have married a man who already has a living wife, will not be considered eligible unless exempted by the Governor.

7. The Institute's decision regarding the eligibility/ineligibility of the candidate will be final.

8. Selected women, dependents of U.P. freedom fighters, and ex-servicemen will be placed, as per existing rules, in the categories to which they belong.

9. Benefit of reservation will not be permissible to SC, ST, OBC, DFF, Women, and Ex-servicemen who are not original residents of Uttar Pradesh; such candidates will be considered as Unreserved (UR) category. In the case of female candidates, only the certificate issued from the father's side will be valid.

10. The number of unreserved and reserved vacancies can be changed as per U.P. Government reservation acts/orders.

11. Before applying, candidates should ensure that they fulfill the prescribed essential qualifications (educational and experience) and other conditions for the vacant posts, and that they fall within the prescribed age limit.

12. The number of vacancies mentioned in the advertisement may increase or decrease.

13. No need to send printed/hard copies of the application or documents by post. However, applicants must keep a printed/hard copy with them.

14. **Correction in Application:** Candidates can modify their application **only once** after final submission.

15. Candidates will have to give their preferences from the list of written examination centers where the exam is to be conducted (list of cities attached). The exact/allotted center will be provided at the time of issuing the Hall Ticket. In case of non-availability of slots at the preferred choices of examination centers, the nearest other cities will be allotted. In this regard, the decision of the Institute (GIMS, Greater Noida) shall be final.

16. The exam paper will be available in both Hindi and English language.

17. Applicants in regular service must present a **"No Objection Certificate (NOC)"** from their employers.

18. Candidates can download their Hall Ticket from the Institute's website www.gims.ac.in. Hall Tickets will not be sent by post. Candidates must appear for the examination only at the allotted examination center. No change in the examination center will be allowed under any circumstances.

19. No TA/DA will be admissible for attending the written test/Document Verification.

20. All disputes/differences or lawsuits will be under the jurisdiction of **Gautam Buddha Nagar** only.

21. The candidate must fulfill all the prescribed eligibility criteria by the last date of application. In case of failing to meet the eligibility criteria, or if false information is provided or facts are hidden, the candidate themselves will be held responsible. The appointing authority of the Institute reserves the right to cancel the candidate's eligibility at any stage in such cases.

22. The Institute will grant provisional admission to the candidates for the Computer Based Test (CBT) examination based on the information provided by them. However, **if at any later stage it is found that the candidate was not eligible or their application was not fit to be accepted at the initial stage, then in such a situation, the candidacy will be cancelled. Even if a decision for appointment has already been taken, it will be cancelled.**

23. Involvement in misconduct, such as cheating in the examination hall, indiscipline, misbehavior, or performing any undesirable activities, will lead to the cancellation of candidacy. Failure to comply with these instructions may result in the candidate being debarred from this examination as well as from examinations to be held in the future.

24. Selected candidates must undergo the required medical examination.

25. **The Institute does not provide any consultancy/advice to the candidates regarding their eligibility.** Therefore, they should study the advertisement carefully and apply only when they are satisfied that they are eligible according to the terms and conditions of the advertisement.

26. The Institute shall have the right to cancel the candidacy and debar the candidate from the Institute's examinations and selections if found involved in acts such as any misconduct/malpractice, hiding any important information, pending prosecution/criminal case, being convicted, having more than one living husband or wife, misrepresentation of facts, and making recommendations regarding candidacy/selection, etc.

27. The Director, GIMS Greater Noida, reserves the right to fill or not fill any or all advertised posts without assigning any reason.

Director

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री.. निवासी ग्राम.................................तहसील................................ .नगर...............................जिला..........................उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)। आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित, जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम.. तहसील..................................... नगर .... जिला...........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.. ....

हस्ताक्षर......................................

दिनाँक... ....

पूरा नाम...................................

मुहर... ....

पद का नाम..............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील................................... नगर .... जिला..................................उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है। कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम... तहसील...................................... नगर .... जिला......... ....में सामान्यतया रहता है।

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

स्थान.. हस्ताक्षर..

दिनाँक.. पूरा नाम..

मुहर... पद का नाम....................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या .... दिनाँक ....
....

वित्तीय वर्ष.. के लिए मान्य

प्रमणति किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पति/पुत्री श्री .... ग्राम/कस्बा ....
पोंस्ट ऑफिस...थाना.......................................तहसील................................. जिला..
.... राज्य.......................पिनकोड................................. के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योकि वित्तीय वर्ष.....................में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवसीय भूखण्ड।

iv. अधिसूचति नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

1. श्री/श्रीमति/कुमारी.............................. जाति......................के सदस्य है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति तथा अनय पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.................................. (कार्यालय का मोहर सहित)
पूरा नाम...
पदनाम...

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................ग्राम/कस्बा... पोस्ट ऑफिस..................................... थाना... ब्लाक..................................तहसील.. .... जिला... राज्य... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँः–

1. मैं..जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू0... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानो पर स्थित परिसम्पतित्तयों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम)............................. ....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखत में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

i. 05 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवसीय भूखण्ड।

iv. अधिसूचति नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोकत जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मै आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवदेन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शौक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओ एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविध/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दे

स्थानः– आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

दिनांकः–

उ.प्र. दिव्यांगों के लिये प्रमाण पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/ HOSPITAL

Certificate No....................... Date................

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/

Kum..son/wife/daughter of

shri..age............sex.............identification mark (S)..

.... is suffering from permanently disability of following category:-

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

A. Locomotor or cerebral palsy:
- **(i)** BL-Both legs affected but not arms.
- **(ii)** BA-Both arms affected
  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip
- **(iii)** BLA-Both legs and both arms affected
- **(iv)** OL-One leg affected (right or left)
  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
- **(v)** OA-One arm affected
  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
- **(vi)** BH- Stiff back and hips (cannot sit of stoop)
- **(vii)** MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:
- **(i)** B-Blind
- **(ii)** PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:
- **(i)** D-Deaf
- **(ii)** PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non- progressive / likely to improve/ not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/ is recommended after a period of ....year................months.

3. Percentage of disability in his/ her case is................ percent.

4. Sh./Smt./ Kum...meet the following physical requirements discharge of his/ her duties:

(Dr.................)	(Dr..................)	(Dr.................)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical superintendent/CMO/HQ
Hospital (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री.. निवासी ग्राम.....................................तहसील.................................. .नगर.................................जिला...........................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ....पुत्र/पुत्री/पोत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) पौत्र (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती(स्वतंत्रता संगाम सेनानी)...... .... के आश्रित हैं।

स्थान..

दिनाँक..

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

मुहर..

जिलाधिकारी..

सील...

पाठ्यक्रम (Syllabus)

Staff Nurse Syllabus: Subject wise 80% Theoretical knowledge & 20% Practical knowledge

The syllabus for the question paper formulation vide CBT examination for filling the post of Staff Nurse for Government Institute of Medical Sciences, G. Noida as mentioned below:

Section A (60 QUESTIONS)	Section B (25 QUESTIONS)	Section C (15 QUESTIONS)
1. Mental Health Nursing	1. Applied anatomy, Physiology, Biochemistry	1. Basic Sciences
2. Fundamentals of Nursing	2. Nutrition & dietetics	2. Communicative English
3. Nursing foundations I&II	3. Applied Psychology	3. Community health nursing
4. First Aids, ACLS, BCLS	4. Forensic nursing	4. Environmental Hygiene
5. Applied Microbiology and Infection control	5. Standard treatment protocols used in national health programmes	5. Professionalism, Professional values & Ethics including bioethics
6. Child health nursing including neonatal care.	6. Nursing research and statistics	6. Health/Nursing Informatics and technology
7. Nursing management and leadership	7. Geriatric Nursing	7. Obstetrics & Gynaecology
8. Applied sociology		
9. Medical & Surgical Nursing		
10. Pharmacology I&II		
11. Pathology I&II		

Rules for the CBT Examination (Staff Nurse)

1. The question paper shall consist of 100 questions in both English and Hindi. All questions will be MCQ-based.Each question shall carry 01 (One) marks. The total marks of the written examination shall be 100.
2. The question paper shall include questions from General Nursing & Midwifery (Post Basic Certificate/Post Basic B.Sc. Nursing) and the B.Sc. Nursing curriculum.
3. No negative marks shall be awarded for unanswered questions.
4. There shall be negative marking of 0.25 mark for each incorrect answer.
5. The question paper shall be bilingual (English and Hindi). In case of any dispute regarding a question or answer, the English version shall be treated as final.
6. If two or more candidates obtain equal marks, merit shall be decided on the basis of age, with the older candidate being placed higher in the merit list.
7. The minimum qualifying marks for the Nursing Officer Recruitment Examination shall be:
   (a) 40% for candidates belonging to General, Economically Weaker Section (EWS), Other Backward Class (OBC) categories;
   (b) 35% for candidates belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) category.
8. A merit list shall be prepared based on the prescribed cut-off marks and the candidates securing higher marks in descending order. Appointment to the post of Satff Nurse shall be made according to the merit list.

The name of the Cities in which the Examination will be held are as follows:-

- Delhi/NCR
- Lucknow
- Gorakhpur
- Varanasi

सहायता प्रकोष्ठ (Helpline)

(Times 09:00 AM – 06:00 PM on all working days)
Helpdesk No - 9986640811, E-mail: gimsrec.helpdesk@gmail.com